

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० न० 69/17 तारीख रजु 18-9-17


उपवान- रामशकप बनाम मिडू मीन के. सरसेबा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत द्वारा  
212 Pt Act

पार्थीकी ओर से श्री हंसराज गुजर एवम् केट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत द्वारा 212 Pt Act के तहत पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थी गणों को जरिये नोटिस से तलाव किया जाय। पत्रावली दिनांक 26.10.17 को पेश हो।

5110-13

19/9/17

  
अधीश आय  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम

26.10.17

पार्थी वकील उप। अप्रार्थी अपवाद सूचना उपस्थित नहीं। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। काले कटस दि० 31.10.17 को पेश हो।

31.10.17 - अपकाश

1.11.17

पत्रावली पेश हुई। पार्थी वकील उपस्थित नहीं। कर्षक आवाज दिलाई गई। दिल्ली पार्थी वकील एवं पार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम टाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुनार होकर जमा से काम होकर ताका पत्रावली के साथ संलग्न रहे।